

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी  
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार-2017 कैम्प नाडोल

वादी  
बेनूकंवर पत्नि जेटूसिंह  
जाति राजपूत निवासी गुडा पृथ्वीराज


बनाम

प्रतिवादी  
राजस्थान सरकार जरिये  
तहसीलदार, देसूरी

राजस्व वाद संख्या 60/2004

वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की सामिल में जारी हुए
6.2017	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अनुपस्थित। प्रतिवादी तहसीलदार देसूरी उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। वर्तमान में प्रकरण वादी के बयानों की जिरह में लम्बित है। अतः इस पत्रावली का निस्तारण उपलब्ध रेकर्ड गत एवं हाल एवं उपलब्ध तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण पर हम निर्णित किया जाना उचित समझते हैं। वादीनी बेनूकंवर पत्नि जेटूसिंह जाति राजपूत निवासी गुडा पृथ्वीराज ने वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नाडोल चक में स्थित कृषि भूमि पुराना ख.न. 501 में से 10 बीघा भूमि भीकमचंद पुत्र प्रेमचंद को आवंटन की गई थी। किन्तु राजस्व रेकर्ड में आवंटनी के नाम 7 बीघा 11 बिस्वा भूमि गत ख.न. 501/15 दर्ज की गई। भू.प्रबन्ध के पश्चात नवीन रेकर्ड में ख.न. 1034 रकबा 1.18 हैक्टर आवंटनी के नाम दर्ज किये गये जिस भूमि को आवंटनी द्वारा दिनांक 04.07.1988 को बेचान दस्तावेज के द्वारा वादी ने खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। 10 बीघा का अवशेष रकबा नये ख.न. 1039 में से 0.42 हैक्टर वादी की खातेदारी में घोषित किये जाने का अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन वादीनी द्वारा किया गया है। प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार देसूरी ने जबाब प्रस्तुत कर वादपत्र के तमाम तथ्यों को अस्वीकार किया एवं निवेदन किया कि वादी हस्तान्तरिती है तथा उसके द्वारा बेचान दस्तावेज के जरिये 7 बीघा 11 बिस्वा भूमि ही खरीद की गई है। वक्त बेचान बेचानकर्ता आवंटनी के खाते में 7 बीघा 11 बिस्वा भूमि ही दर्ज थी। वादीनी को यह वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। वादीनी के हकुक खरीदशुदा भूमि पर ही बनते हैं। वादी के वाद में कोज आफ एक्शन स्पेसिफिक अंकित नहीं है न ही वादी आवंटनी है। अथवा भूमि आवंटनी संबंधि कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। वादपत्र एवं जबाब के अनुसार कायम किये गये वाद बिन्दुओं का निम्नानुसार निस्तारण किया जाता है :-</p>	



उपलब्ध अहकाम  
देसूरी (पत्नी)

**वाद बिन्दु संख्या-1 :-**

पत्रावली एवं उपलब्ध रेकॉर्ड तथा वादी के बयानों के अवलोकन से यह जाहिर है कि वादी को मौजा नाडोल चक-1 के गत खसरा संख्या 501 में 10 बीघा भूमि का आवंटन कब हुआ, आवंटन की पालना में दाखिल नामान्तरकरण कब दर्ज किया गया कोई साक्ष्य वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया मात्र जिला कलेक्टर महोदय के न्यायालय में दर्ज प्रकरण अंतर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 में पारित निर्णय 31.03.92 की प्रति जिसमें प्रार्थी भूमिधारी का प्रार्थना-पत्र निरस्त किया गया है जिसे आवंटन होने तथा आवंटन की पालना में अधिकार अभिलेखों में 10 बीघा भूमि आवंटनी के नाम प्रविष्ट होने संबंधी प्रमाण नहीं माना जा सकता। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य खतौनी, जमाबंदी संवत् 2034 से 2037 के अनुसार भीकमदास पुत्र प्रेमदास कौम वैष्णव खसरा नंबर 501/मी.15 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर बतौर गैर खातेदार दर्ज है। गैर खातेदार रहते हुये भूमि का विक्रय आवंटनी द्वारा नहीं किया जा सकता था। स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित है कि भीकमचंद आवंटनी अधिकार अभिलेखों में 7 बीघा 11 बिस्वा भूमि का खातेदार ही दर्ज था। 10 बीघा भूमि आवंटन संबंधी कोई अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है एवं न ही वादी ने अपने कथनों में भीकमचंद के अधिकार अभिलेखों में 10 बीघा भूमि दर्ज होने संबंधी कोई कथन किया है। अतः यह वाद बिन्दु वादी के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

**वाद बिन्दु संख्या-2 :-**

पत्रावली एवं उपलब्ध रेकॉर्ड तथा वादी के बयानों के अवलोकन के पश्चात् यह जाहिर है कि भूप्रबन्ध से पूर्व अन्तिम खतौनी संवत् 2034-37 में आवंटनी भीकमदास पुत्र प्रेमदास के ख.न. 501/मी.15 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर बतौर गैर खातेदार दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से गत खसरा संख्या 501/मी.15 के नवीन खसरा संख्या 1034 रकबा 1.18 हैक्टर भूमि कायम की गई जो बेचान दस्तावेज के अनुसार वादी के नाम दर्ज है। भूप्रबन्ध द्वारा गत खतौनी के अनुरूप नवीन खसरा संख्या 1034 का क्षेत्रफल दर्ज किया गया है। चूंकि गत अधिकार अभिलेखों में वादी अथवा आवंटनी प्रेमदास के नाम 10 बीघा भूमि दर्ज ही नहीं थी तो भूप्रबन्ध द्वारा किसी भी स्थिति में 1.60 हैक्टर भूमि आवंटनी के नाम दर्ज नहीं की जा सकती थी। अतः यह वाद बिन्दु भी वादी के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

**वाद बिन्दु संख्या-3 :-**

राजस्व रेकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से जाहिर है कि वर्तमान खसरा संख्या 1034 रकबा 4.12 हैक्टर किस्म बरानी प्रथम राजकीय सिवाय चक भूमि भूप्रबन्ध द्वारा दर्ज की गई है जो सालम नंबर है व भूप्रबन्ध द्वारा गत रेकॉर्ड के अनुरूप सिवाय चक दर्ज की गई है। वाद बिन्दु संख्या-1 व 2 में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार आवंटनी के नाम अधिकार अभिलेखों में दर्ज क्षेत्रफल के अनुसार उसे नवीन रेकॉर्ड में



खातेदार/गैर खातेदार दर्ज किया गया। वर्तमान खसरा संख्या 1034 का क्षेत्रफल 1.18 हैक्टर नियमानुसार कायम किया जाना स्पष्ट रूप से जाहिर है। अतः यह वाद बिन्दु वादी के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

**वाद बिन्दु संख्या-4 व 5 :-**

उपरोक्त वाद बिन्दु 1 से 3 के विवेचनानुसार वादी निषेधाज्ञा एवं अनुतोष पाने का किसी भी तरह से अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि वादीनी द्वारा जरिये बेचान दस्तावेज दिनांक 07.01.1988 आवंटी भीकमदास से खसरा संख्या 1034 रकबा 1.18 हैक्टर भूमि खरीद गई जिसका इन्द्राज अधिकार अभिलेखो मे यथा जमाबंदी संवत् 2041-60 मे जरिये नामान्तरकरण संख्या 9 दिनांक 19.03.1989 खरीदकर्ता वादीनी के नाम खरीदशुदा भूमि खसरा संख्या 1034 का इन्द्राज किया गया। भीकमदास को किये गये आवंटन के संबंध मे आवंटन की तुलना मे कम रकबा दर्ज किये जाने के लिये इस वाद पत्र के जरिये वादीनी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकती है। क्योंकि बेचान दस्तावेज के अनुरूप ही अपने अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी रहती है। अतः वादीनी को यह वाद लाने का अधिकार भी हासिल नहीं है न ही वाद हेतुक वादीनी के पक्ष नहीं है। जहां तक वादीनी का वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 1039 पर पुराने कब्जे का प्रश्न है उसके लिये धारा 88 के वाद मे अनुतोष नहीं दिया जा सकता।

अतः वाद वादीनी खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राजेश मेवाड़ा)  
उपखण्ड अधिकारी  
देसूरी, पाली

